# भारत का संविधान

## प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्रातमक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. को
एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और स्वअर्पित करते हैं।

# संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकार

स्वतन्त्र भारत के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व व समानता को समाहित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए गरिमापूर्ण एवं समानतापूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पूरे संविधान में कुल 22 भाग व 12 अनुसूचियां है। हमारे मूलभूत अधिकार व कर्त्तव्य के लिए भाग 3 व 4 है।

| | |
|---|---|
| अनुच्छेद 14 | के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान है, सबको कानून के तहत् समान संरक्षण का अधिकार है। |
| अनुच्छेद 15 | के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। |
| अनुच्छेद 16 | के अनुसार राज्याधीन नौकरीयों या पदों पर नियुक्ति के सम्बध में समस्त नागरिकों के लिए समान अवसर है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार राज्य को है। |
| अनुच्छेद 17 | में अस्पृश्यता का अन्त घोषित किया है। अपृश्यता का आचरण और उसमें उत्पन्न निर्योग्यताओं को लागू करना कानूनी अपराध के रूप में दण्डनीय है। |
| अनुच्छेद 19 | के अनुसार सभी को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। |
| अनुच्छेद 21 | के अनुसार जीवन जीने का अधिकार व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। |
| अनुच्छेद 21( अ ) | के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। |
| अनुच्छेद 23 | के अनुसार बंधुआ, बेगारी प्रथा एक अपराध है इस पर पूर्णत: पाबंदी/रोक है। |
| अनुच्छेद 24 | के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त रखा गया है। |
| अनुच्छेद 25 | के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। |
| अनुच्छेद 29 | के अनुसार किसी भी समाजिक समूह को अपनी भाषा, लिपी व संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। |
| अनुच्छेद 38 | में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य एसी व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करके कल्याण की वृद्धि करे। |
| अनुच्छेद 46 | में राज्य की और से जनता के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा सम्बधी विशेष सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गई। |
| अनुच्छेद 164 | में इनके कल्याण के सभी हितों की रक्षा के उददेश्य से राज्यों के सलाहकार, परिषदों और पृथक विभागो की व्यवस्था की गई है। |

अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा संसद और राज्य के विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है।

Printed By : Mahak Graphics & Offset Mob. : 9826364676/8815105271


# डॉ० अम्बेडकर सामाजिक न्याय केन्द्र
( दलित अधिकार अभियान, मध्यप्रदेश )
ई-8/63, भरत नगर शाहपुरा, भोपाल ( म.प्र. ) फोन नं. 0755-4218563, Mob. +91-9827294403, 8109775873
Email : dalitadhikarabhiyan@gmail.com, dalitsangh@sify.com, pgvsngo1@yahoo.co.in



सहयोग : दलित संघ, सोहागपुर
प्रगति ग्रामीण विकास संस्था, बैतूल
अम्बेडकर विचार मंच, हरदा
वित्तीय सहयोग : एक्शनएड, भोपाल (म.प्र.)